

कार्यालय:-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा, (म0प्र0)

आ दे श

कमांक 330 / दो-11-01 / 2004(भाग-2),

रीवा, दिनांक 21 मई, 2025

माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर के एम0सी0आर0सी0 नंबर 14965 / 2025 में पारित आदेश दिनांक 15.05.2025 एवं बारहवें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश का न्यायालय रिक्त होने के फलस्वरूप प्रशासकीय कार्य व्यवस्था एवं लोकहित में निम्नानुसार तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण का स्थानांतरण किया जाकर आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	नाम कर्मचारी	कहां से	कहां को	रिमांक
1	श्री दिलीप कुमार द्विवेदी, रीडर ग्रेड-2	निष्पादन लिपिक, न्यायालय प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिरमौर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (श्री संजय वर्मा) के न्यायालय से	अतिरिक्त लिपिक, न्यायालय प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मऊगंज के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश (श्री जय सिंह सरौते) मऊगंज, जिला रीवा के न्यायालय में	अटैच
2	श्री तारेन्द्र कुमार मिश्रा, रीडर ग्रेड-2	निष्पादन लिपिक, बारहवें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रीवा	निष्पादन लिपिक, न्यायालय प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिरमौर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (श्री संजय वर्मा), सिरमौर, जिला रीवा के न्यायालय में	श्री दिलीप कुमार द्विवेदी के स्थान पर

नोट :- श्री तारेन्द्र कुमार मिश्रा, रीडर ग्रेड-2 अपना सम्पूर्ण प्रभार श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा, निष्पादन लिपिक, न्यायालय चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रीवा को सौंपकर तत्काल प्रभाव से भारमुक्त होंगे।

नोट- उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

हस्ताक्षर

(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा, म0प्र0

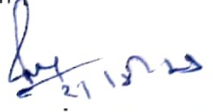
पू0क0- 2599 / दो-11-01 / 2004(भाग-2),

रीवा, दिनांक 21 मई, 2025

प्रतिलिपि :-

- न्यायालय प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सिरमौर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश सिरमौर, जिला रीवा।
- न्यायालय प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मऊगंज के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश मऊगंज, जिला रीवा।
- न्यायालय चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रीवा।
- पी0ए0 टू माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

5. संबंधित कर्मचारी-----की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
6. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा की ओर आदेश की प्रति जिला न्यायालय रीवा की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. डी0एस0ए0/एस0ए0 कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा की ओर आदेश की प्रति एच.आर.एम.एस./ई.आर.पी. साफ्टवेयर में प्रविष्टि किये जाने हेतु प्रेषित।
8. लेखापाल/देयक लिपिक, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा, म0प्र0